दिनांक : 20/11/17

सेवा में,

थाना-प्रभारी (SHO)
बस्ती जोधेवाल पुलिस थाना
मन रोड बस्ती जोधेवाल,
लुधियाना - 141007

विषयः झूठा बयान देकर F.I.R. दर्ज करने के मामले में आरोपी के खिलाफ IPC की 182, 191, 193, 211 आदि धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज किये जाने हेतु|

महोदय,

मेरे (मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना मोब. 81467-61055) और जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता (पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना मोब. 73554-27270) के ऊपर, पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल में F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 दर्ज की गई थी जो आरोपी रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह (पताः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2, मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना मोब. 98888 - 99908) के दिये गये झूठे बयान के आधार पर दर्ज की गई थी| हमारे द्वारा पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल में व पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) को पहले से ही इस रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह के धोखेबाज भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत दी गई थी मगर उस पर कोई कार्यवाही ना करके आरोपी रिश्वतखोर सुखदेव सिंह के झूठे बयान के आधार पर ही हमारे ऊपर F.I.R. दर्ज कर दी गई|

इस मामले में रिश्वतखोर सुखदेव सिंह का दिया गया बयान पूरी तरह बेबुनियाद व गलत था क्योंकि किसी भी तथ्य को एक ही रूप में रखा जा सकता हैं ना कि दो अलग-अलग रूपों में| यहाँ पर रिश्वतखोर सुखदेव सिंह के जिस बयान के आधार पर F.I.R. दर्ज की गई वह ब्यान था कि उसके भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के मोबाईल के द्वारा उसे डरा-धमकाकर पैसों का लेनदेन किया गया जबकि इसी रिश्वतखोर सुखदेव सिंह के पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) को दिये बयान में उसका कहना है कि "मेरे भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के साथ लकी गुप्ता का पैसों का लेनदेन था जिसे उनके द्वारा सुलझा लिया गया था" अगर कुछ लेनदेन था तो फिर 'डरा-धमकाकर पैसे लिये गये' यह शब्द कैसे लिखे गये?

दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है या तो आपस में मित्रतापूर्ण लेनदेन किया गया हो या फिर डरा-धमकाकर पैसों का लेनदेन किया गया हो| यह विरोधाभास बयान साफ-साफ रिश्वतखोर सुखदेव के झूठ को उजागर करने के लिये काफी है|

अतः तुरंत झूठे बयान के आधार पर F.I.R. दर्ज करवाने के मामले में आरोपी रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह के खिलाफ IPC की 182, 191, 193, 211 आदि धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज की जाये और आवश्यक कार्यवाही की जाये साथ ही आरोपी के भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के बैंक खाते और उसके मोबाईल से किये गये सभी Transactions का ब्यौरा लेकर उसकी जाँच करते हुये आवश्यक सबूत इकट्ठे किये जायें जिससे आरोपी रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठे हो सकें जिससे उसे सख्त से सख्त सजा प्राप्त हो|

आशा है, जिस प्रकार झूठे बयान पर पुलिस अधिकारियों ने कानून के प्रति कर्तव्यनिष्ठा दिखाते हुये बिना जरूरी पूछताछ व जरूरी सबूत इकट्ठे किये हमारे ऊपर F.I.R. दर्ज की थी उसी प्रकार हमारी सबूतों के साथ दी जाने वाली इस सच्ची शिकायत पर F.I.R. तुरंत दर्ज की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही तुरंत की जाएगी|

धन्यवाद!

मुकेश ठाकुर	जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता
(लुधियाना [redacted])	(लुधियाना [redacted])

<u>संलग्न दस्तावेज़:</u>

1) F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 की कॉपी जिसमें सुखदेव का वह झूठा बयान भी दर्ज है जिसके आधार पर F.I.R. दर्ज की गई थी

2) रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह के द्वारा कमिश्नर को दी गई शिकायत और डिविज़न नं. 1 में सुखदेव सिंह की बहन [redacted] कौर के द्वारा की गई झूठी शिकायत पर दर्ज करवाई गई DDR No. 23/2017 दि. 22.06.2017 के समय दिये गये बयान की कॉपी

प्रतिलिपि :

1. Director General of Police 2. Commissioner of Police 3. P.S. Basti Jodhewal

दिनांक : 20/11/17

सेवा में,

थाना-प्रभारी (SHO)
बस्ती जोधेवाल पुलिस थाना
मेन रोड बस्ती जोधेवाल,
लुधियाना - 141007

विषयः झूठी शिकायत पर F.I.R. दर्ज करवाने के मामले में आरोपी के खिलाफ IPC की 182, 191, 193, 211 आदि धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज किये जाने हेतु।

महोदय,

मेरे (मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना मोब. 81467-61055) और जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता (पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड, लुधियाना मोब. 73554-27270) के ऊपर पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल में जोगिन्दर सिंह पिता प्रीतम सिंह (पताः मकान नं. 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना मोब. 98151-72504) की झूठी शिकायत पर F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 दर्ज कराई गई थी।

यह शिकायत पूरी तरह झूठी व बेबुनियाद है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी सबूत आरोपी द्वारा दिये नहीं गये जबकि जोगिन्दर सिंह की बेटी [redacted] कौर के द्वारा डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाने में दिये गये बयान के अनुसार उनके घर में 20.06.2017 से CCTV Camera लगाया गया था जो तब से लगातार घटना वाले दिन तक कार्यरत था और अपनी जगह स्थित था इसका मतलब साफ है कि जोगिन्दर सिंह द्वारा लगाये गये आरोप का पूरा वीडियो फुटेज उनके पास उपलब्ध होना चाहिये था जो वे उपलब्ध नहीं करा रहे जिसका साफ मतलब है कि वहाँ

पर ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी बल्कि हम लोग उस वक्त अपने-अपने काम से दूसरी जगह पर मौजूद थे|

अतः झूठी शिकायत पर F.I.R. दर्ज करवाने के मामले में IPC की 182, 191, 193, 211 आदि धाराओं के तहत जोगिन्दर सिंह के खिलाफ F.I.R. दर्ज करवाई जाये और आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाये|

आशा है, जिस प्रकार झूठे बयान पर पुलिस अधिकारियों ने कानून के प्रति कर्तव्यनिष्ठा दिखाते हुये बिना जरूरी पूछताछ व जरूरी सबूत इकट्ठे किये F.I.R. दर्ज की थी उसी प्रकार हमारी सबूतों के साथ दी जाने वाली इस सच्ची शिकायत पर F.I.R. तुरंत दर्ज की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही तुरंत की जाएगी|

धन्यवाद!

मुकेश ठाकुर
(लुधियाना ~~वाले~~)

जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता
(लुधियाना ~~वाले~~)

संलग्न दस्तावेज़:

1) F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 की कॉपी जिसमें जोगिन्दर सिंह का वह झूठा बयान भी दर्ज है जिसके आधार पर F.I.R. दर्ज की गई थी
2) जोगिन्दर सिंह की बेटी [redacted] कौर के द्वारा डिविज़न नं. 1 में दी गई झूठी शिकायत (जिसके आधार पर DDR No. 23/2017 दि. 22.06.2017 दर्ज की गई) की कॉपी

प्रतिलिपी :

1. Director General of Police   2. Commissioner of Police   3. P.S. Basti Jodhewal

दिनांक : 20/11/17

सेवा में,

थाना-प्रभारी (SHO)

डिविज़न नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाना

चौड़ा बाज़ार, क्लॉक टॉवर के पास,

अकल मार्केट के सामने, लुधियाना - 141008

विषयः <u>झूठा बयान व मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करने के मामले में IPC की 182, 191, 193, 211 आदि धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज करने हेतु|</u>

महोदय,

मेरे (मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना मोब. 81467-61055) और जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता (पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना मोब. 73554-27270) के ऊपर डिविज़न नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाने में DDR No. 23/2017 दिनांक 22.06.2017 दर्ज हुई थी यह ब्यान झूठा व बेबुनियाद था|

जिस शिकायती ब्यान पर व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह गुन्हा दर्ज किया था वही ब्यान और मेडिकल रिपोर्ट ही शिकायतकर्ता के ब्यान को झूठा साबित करती है, बयान देने वाली आरोपी [redacted] कौर पुत्री जोगिन्दर सिंह (पताः मकान नं. 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना मोब. [redacted]) ने ब्यान में कहा था कि, "मुझ पर धारदार हथियार से वार किया है और मेरा खून निकला है" साथ ही उसने बयान के साथ एक मैडिको लीगल रिपोर्ट भी संलग्न की थी (दोनों की कॉपी साथ में संलग्न है) मैडिकल रिपोर्ट के अनुसार कहीं भी कोई धारदार हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही खून निकला है|

इस शिकायत के मामले में CCTV Footage सबूत के रूप में ली जानी थी, साथ ही मोबाईल लोकेशन का रिकार्ड भी लिया जाना चाहिये था, जो नहीं लिया गया। हम लोगों की तरफ से CCTV Footage सीज़ करने के लिये कहा गया था जो सीज़ नहीं किया गया बल्कि नष्ट किया गया। एक भी सबूत हमारे खिलाफ इस मामले में आरोपी के द्वारा और ना ही जाँच अधिकारी के द्वारा जमा किये जा सके जो साफ-साफ बता रहा है कि आरोपी [redacted] कौर के आरोप पूरी तरह झूठे व बेबुनियाद थे।

अतः तुरंत आरोपी [redacted] कौर पर IPC की 182, 191, 193, 211 आदि धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज करते हुये आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाये।

आशा है, जिस प्रकार झूठे बयान पर पुलिस अधिकारियों ने कानून के प्रति कर्तव्यनिष्ठा दिखाते हुये बिना जरूरी पूछताछ व जरूरी सबूत इकट्ठे किये F.I.R. दर्ज की थी उसी प्रकार हमारी सबूतों के साथ दी जाने वाली इस सच्ची शिकायत पर F.I.R. तुरंत दर्ज की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही तुरंत की जाएगी।

धन्यवाद!

मुकेश ठाकुर
(लुधियाना ~~जेल से~~)

जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता
(लुधियाना ~~जेल से~~)

संलग्न दस्तावेज़:

1) DDR No. 23/2017 दिनांक 22.06.2017 की कॉपी जिसमें [redacted] कौर का वह झूठा बयान भी दर्ज है जिसके आधार पर DDR No. 23/2017 दर्ज की गई थी
2) Medico Legal Report

प्रतिलिपी :

1. Director General of Police 2. Commissioner of Police 3. P.S. Division No.1 (Kotwali)

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535938IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:SURESH ARORA,SEC 9A
CHANDIGARH, PIN:160009
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:65grams,
Amt:37.00 ,20/11/2017 ,14:39
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535725IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:SHO,DIV NO 1 KOTWALI
LUDHIANA, PIN:141008
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:65grams,
Amt:37.00 ,20/11/2017 ,14:39
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535836IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:COMMISSIONER OF POLI,FRZPUR ROAD
LUDHIANA, PIN:141000
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:50grams,
Amt:32.00 ,20/11/2017 ,14:39
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535717IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:SHO,BASTI JODHEWAL
LUDHIANA, PIN:141000
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:65grams,
Amt:37.00 ,20/11/2017 ,14:39
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535822IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:SURESH ARORA,SEC 9A
CHANDIGARH, PIN:160009
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:50grams,
Amt:32.00 ,20/11/2017 ,14:40
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

<<Track on www.indiapost.gov.in>>
RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535853IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:SURESH ARORA,SEC 9A
CHANDIGARH, PIN:160009
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:65grams,
Amt:37.00 ,20/11/2017 ,14:37
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535915IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:THANA PRABHARI,BASTI JODHEWAL
LUDHIANA, PIN:141007
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:50grams,
Amt:32.00 ,20/11/2017 ,14:38
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535898IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:COMMISIONER OF POLIC,
LUDHIANA, PIN:141000
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:65grams,
Amt:37.00 ,20/11/2017 ,14:38
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL LUDHIANA H.O <141001>
RL B RP613535907IN
Counter No:2,OP-Code:SA
To:COMMISSIONER OF POLI,FRZ ROAD
LUDHIANA, PIN:141000
From:MUKESH THAKUR , RAM NAGAR LDH
Wt:65grams,
Amt:37.00 ,20/11/2017 ,14:38
<<Track on www.indiapost.gov.in>>